प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 20.03.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 27.01.2019 को वादी द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मनोज पुत्र काले उर्फ शीशराम सैनी निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 27/2019 धारा 376 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो अधिनियम बनाम मनोज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2019 धारा 376 भादवि के अभियुक्त मनोज पुत्र काले उर्फ शीशराम सैनी निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की धनराशि 50,000 /- रुपये में से 40,000 /- रुपये पीडिता को प्रतिकर के रुप में देय होंगे।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

मनोज पुत्र काले उर्फ शीशराम सैनी निवासी ग्राम बल्दिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर दिनाँक – 20.03.2024

थाना बढापुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अपमिश्रित शराब बनाये जाने की भट्ठी को किया नष्ट, 945 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद। मौके पर 10,000 लीटर लाहन नष्ट।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन आदि मे संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम मे थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाकर जंगल ग्राम मधपुरी, भोगपुर, वीरभानवाला क्षेत्र मे संभावित स्थानों पर छापेमारी की गयी तो एक स्थान पर 10 रबर ट्यूबो मे कुल 945 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण (लोहा ड्रम, एल्यूमिनियम पाईप, रबर पाईप, बाल्टी, आदि) बरामद किये गये तथा मौके पर 10,000 लीटर लाहन व शराब भट्ठी को नष्ट किया गया। अवैध शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्तगण 1.निक्कू उर्फ कुलविंदर पुत्र पप्पू 2.सुरजीत उर्फ काका पुत्र गुरदीप निवासीगण ग्राम मधपुरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर घने जंगलो का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। इस संबध मे थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 46/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण –

10 रबर ट्यूबो मे कुल 945 लीटर अवैध कच्ची शराब

शराब बनाने के उपकरण (लोहा ड्रम, एल्यूमिनियम पाईप, रबर पाईप, बाल्टी, आदि)

10,000 लीटर लाहन

पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री कोमल सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2. श्री रमाशंकर सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र नगीना

3.उ0नि0 श्री मुन्नालाल गौतम थाना बढापुर जनपद बिजनौर

4.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

5.मु0आ0 721 सोनु कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

6.मु0आ0 656 बिजेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

7.आरक्षी 2454 अरविंन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

8.आरक्षी 2428 जितेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

9.महिला आरक्षी 2389 मेघा रानी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

10.आबकारी आरक्षी अभिषेक आबकारी क्षेत्र नगीना

11.आबकारी महिला आरक्षी मोनिका आबकारी क्षेत्र नगीना

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक 20.03.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 99/2024 धारा 452/323/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.03.2024 को वादिनी श्रीमती रीना देवी पत्नी हरपाल सिंह निवासी शेखपुर लाला नारायण खेडी, थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहटौर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 16.03.2024 को अभियुक्तगण प्रदीप 2.हिमांशु 3.मनु कुमार पुत्रगण नरेन्द्र सिंह 4.नरेन्द्र कुमार पुत्र सकत सिंह निवासीगण ग्राम शेखपुरा लाला नारायण खेडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी व वादिनी के पति के साथ घर में घुसकर गाली-गलौच तथा जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो से मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 99/2024 धारा 452/323/307/504/506 भादवि बनाम प्रदीप कुमार आदि कुल 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान क्रम में आज दिनांक 20.03.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 99/2024 धारा 452/323/307/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.प्रदीप उर्फ इतवारी पुत्र नरेन्द्र 2.नरेन्द्र पुत्र सकत सिंह निवासीगण ग्राम शेखपुरा लाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.प्रदीप उर्फ इतवारी पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम शेखपुरा लाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.नरेन्द्र पुत्र सकत सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा लाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री राजीव कुमार शर्मा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.कां0 1356 अंकित चौहान थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 20.03.2024**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त शमीम उर्फ गट्टी पुत्र इकबाल निवासी ग्राम दौलतपुर बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0स0 87/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शमीम उर्फ गट्टी पुत्र इकबाल निवासी ग्राम दौलतपुर बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री सुभाष थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी कुंवरपाल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ़ दिनांक 20.03.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 48 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र थानी सिंह निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 28 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया व अभियुक्त विपिन कुमार उर्फ दुष्यन्त पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 83/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.पंकज कुमार पुत्र थानी सिंह निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

2. विपिन कुमार उर्फ दुष्यन्त पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

48 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.मुख्य आरक्षी 662 प्रशांत कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

2. आरक्षी 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ़ **दिनांक 20.03.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त लवकुश पुत्र मिश्री निवासी ग्राम सलावतपुर गिरधर उर्फ भज्जावाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 25 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 84/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लवकुश पुत्र मिश्री निवासी ग्राम सलावतपुर गिरधर उर्फ भज्जावाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

25 लीटर अवैध कच्ची शराब

आपराधिक इतिहास लवकुश उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 330/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0 025/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
3.मु0अ0स0 01/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
4.मु0अ0स0 84/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.आरक्षी 2521 सचिन कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
2. मुख्य आरक्षी 842 विकाश बाबू थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 20.03.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 82 पव्वे अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहटौर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र घासीराम नि0 ग्राम हमीदपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 22 पव्वे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 101/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया व अभियुक्त मगन सिंह पुत्र रामपाल सिह निवासी ग्राम काजीपुरा उर्फ कादीपुरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 60 पव्वे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.सुनील कुमार पुत्र घासीराम नि0 ग्राम हमीदपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2. मगन सिंह पुत्र रामपाल सिह निवासी ग्राम काजीपुरा उर्फ कादीपुरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

82 पव्वे अवैध देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. मुख्य आरक्षी 797 सचिन मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. मुख्य आरक्षी 609 आर्यन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. का0 1276 राहुल यादव थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4. का01345 विक्रान्त राणा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक 20.03.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को 550 ग्राम चरस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री/परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनस पुत्र शकील निवासी मौ0 लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 550 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 139/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनस पुत्र शकील निवासी मौ0 लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

550 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2. मुख्य आरक्षी 443 कपिल थाना किरतपुर बिजनौर

3- मुख्य आरक्षी 547 शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक 20.03.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.03.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गुड्डू पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम मदनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 135/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम गुड्डु उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

गुड्डू पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम मदनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस

अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 586/2023 धारा 323/504/506 भादवि व धारा 3(1) द/ध, 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1-उ0नि0 श्री योगेश मावी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2-हे0कां0 228 सुधीर कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3-कां0 1120 राहुल चौधरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 20.03.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.03.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त दीपक पुत्र चेतराम निवासी ग्राम हादीपुर सर्फुदीन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 140/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम दीपक उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक पुत्र चेतराम निवासी ग्राम हादीपुर सर्फुदीन थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

अभियुक्त दीपक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 402/2020 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 403/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 140/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0 नि0 श्री जयप्रकाश थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2- है0 कां0 481 अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3- कां0 689 गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4- कां0 2171 प्रवेन्द्र थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंड़ावली **दिनांक 20.03.2024**

थाना मंड़ावली पुलिस ने अभियुक्त को 192 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री/परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंड़ावली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शाहिद पुत्र आबिद निवासी ग्राम भागूवाला थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर को 192 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल PYEEON SPAS PLUS सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मंड़ावली पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहिद पुत्र आबिद निवासी ग्राम भागूवाला थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

192 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल PYEEON SPAS PLUS

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार राणा थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर
2.मुख्य आरक्षी 833 अंकुर दुहण थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर
3.आरक्षी 882 आदेश कुमार थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर
4. आरक्षी 1250 अंकित कुमार थाना मंड़ावली जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 20.03.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना	विशाल पुत्र ब्रहमजीत नि0 कस्बा मौ0 विश्नोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर
2	स्योहारा	जमशेद पुत्र मन्नान नि0 ग्राम हकीमपुरा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3	धामपुर	फिरोज पुत्र रिजवान नि0 ग्राम रायपुर मलूक थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4	हीमपुर दीपा	अय्यूब पुत्र अमानत नि0 ग्राम हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5	नजीबाबाद	चन्द्रपाल पुत्र भगवाना सिंह नि0 मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6	नजीबाबाद	बृज पुत्र सुक्खे नि0 मौ0 जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7	नूरपुर	कफील अहमद पुत्र खलील नि0 मौ0 रविदासपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
8	नूरपुर	तेज सिंह पुत्र सौनाथ सिंह नि0 ग्राम चेलापुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

थाना नगीना

थाना स्योहारा

थाना हीमपुर दीपा

थाना धामपुर

थाना नजीबाबाद

थाना नूरपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक 20.03.2024**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त शहजाद पुत्र कलवा निवासी मौहल्ला मिल्कीयान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0 134/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शहजाद पुत्र कलवा निवासी मौहल्ला मिल्कीयान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास शहजाद उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0 173/2017 धारा 380/411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 184/17 धारा 425 शस्त्र अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 695/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 597/14 धारा 398/401 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 65/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 554/16 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 134/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 मौ0 कय्यूम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2. का0 2043 रोहित चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3. का0 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 20.03.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंशुल पुत्र स्व0 अनील उम्र करीब 26 वर्ष नि0 मौ0 जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 84/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अंशुल पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंशुल पुत्र स्व0 अनील उम्र करीब 26 वर्ष नि0 मौ0 जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

10 ली0 नाजायज अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. का0 1657 प्रभात कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. हो0गा0 1589 लाखन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक- 20.03.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त जगत सिंह पुत्र सौनाथ सिंह निवासी नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0स0 120/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

जगत सिंह पुत्र सौनाथ सिंह निवासी नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. मुख्य आरक्षी 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. आरक्षी 2040 खुशीराम थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर **दिनांक – 20.03.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एंव अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे आज दिनांक 20.03.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त राशिद पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम अथाई जमरूदीन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 83/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राशिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राशिद पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम अथाई जमरूदीन थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री पवनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3.हे0का0 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4.का0 2561 निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शिवालाकला **दिनांक 20.03.2024**

थाना शिवालाकला पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त हितेश पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना शिवालाकला पर मु0अ0स0 31/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

हितेश पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम आराजी भैंसा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 693 राहुल थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

4.का0 1998 विष्णु शर्मा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक 20.03.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त नौशाद पुत्र अनवर निवासी रहमत कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 233/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

नौशाद पुत्र अनवर निवासी रहमत कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास नौशाद उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 690/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 383/21 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 233/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. का0 2510 विजय चौहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली देहात **दिनांक 20.03.2024**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त जोनी पुत्र हरीकिशन निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-68/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जोनी पुत्र हरीकिशन निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.मुख्य आरक्षी 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात बिजनौर

2.आरक्षी 29 दीपक कौशिक थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर